न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -04/2024

अनवान

भेरूसिंह पिता उदेसिंह जी जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी सांखलों का ढूंढा, पटवार हल्का बाडोलिया, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राज. मो.न.-75684/2025

-वादी

बनाम

1. श्रीमान भूमीधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा कार्यालय-रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राज.
2. केसर कंवर पत्नी अनेन्द्र सिंह (पुत्र नरेन्द्र सिंह) जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त निवासी बाडोलिया, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राज.

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी

श्री आजाद हुसैन अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 व 1 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 08.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान में एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा का प्रस्तुत किया जो निश्चय ही प्रार्थी/वादी के पक्ष में निर्णित होगा, परन्तु वाद पत्र के निर्णय होने में समय लगने की संभावना है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को मौके से हटा सकते या मौके की स्थिति परिवर्तित कर सकते है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुझ प्रार्थी के नाम ग्राम सांखलों का ढूंढा पटवार हल्का बाडोलिया मे संवत् 2033-36 मे दर्ज रिकार्ड है जिसकी खसरा संख्या 5/101 रकबा 5 बीघा है उक्त आराजी का नामान्तरण जरिये वसीयत से मुझ प्रार्थी के नाम खोला गया है पूर्व में आराजी धूला पिता रामसुख दरोगा अन्तरालिया के नाम दर्ज रिकार्ड थी। धूला पिता रामसुख निवासी सांखलो का ढूंढा को राणा प्रताप सागर बांध के डूब ऐवज में सहखातेदारी से आराजी अलोट हुई थी। धूला जी लाओलाद फोत हुऐ थे तथा उनकी सेवा सुश्रुषा प्रार्थी द्वारा की गई थी इनकी वसीयत अनुसार प्रार्थी के नाम आराजी दर्ज रिकार्ड हुई थी। प्रार्थी ने उक्त आराजी को अंगमेहनत कर काफी सुधार किया, गिरदावरी संवत् 2038-40 मक्का, ज्वार, उडद, चना का अंकन है, गिरदावरी संवत् 2054-57 के अनुसार गेहूं, चना, धनिया मटर, मक्का फसल बोना अंकन है, गिरदावरी संवत् 2042-44 में मक्का, गेहूँ, धनिया, अंकन है। प्रार्थी उक्त आराजी पर आश्रित हो परिवार का भरण-पोषण करता रहा है। सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी की आराजी की खसरा संख्या 5/101 रकबा 5 बीघा तथा सेटलमेंट के पश्चात खसरा संख्या 8 रकबा 1.08 5 बीघा दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट से पूर्व 5/9 खसरा नम्बर बडा नम्बर था तथा सम्पूर्ण आराजीयात की मौके पर तरमीम नही थी आंवटन के समय से राजस्व अधिकारियों द्वारा आंवटित आराजी पर काबिज हो प्रार्थी काश्त कर रहा था तथा पडौसी काश्तकारों की आराजी पर रास्ता प्रार्थी के दक्षिण दिशा की ओर होकर जाता था जो नक्शे से प्रमाणित है तथा मौके पर भी है परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा प्रार्थी के काबिज काश्त गत आराजी 5/101 के नये नम्बर 12 बना कर काबिज काश्त आराजी से दूर रकबा कर दिया गया जिस पर अभी वर्तमान मे सांखलों का ढूंढा की आबादी बसी है तथा अन्य अतिक्रमियों के भूखण्ड है तथा मैं प्रार्थी प्रारम्भ से ही जहाँ काबिज हो काश्त कर [illegible] अप्रार्थी केसर कंवर पत्नी अनेन्द्र सिंह का रिकार्ड में अंकन कर दिया गया जिसके गत् नम्बर 5/1ख व वर्तमान न[illegible] तथा रकबा 0.40 हैक्टेयर है। तथा जहाँ पूर्व में पडोसियों के जाने का रास्[illegible] देस में अंकन नहीं कर वर्तमान आराजी 8 व 12 के बीच मे से रास्ता का[illegible]यक है। वर्तमान आराजी नम्बर 12 के दक्षिण दिशा मे रास्ता कायम [illegible]यम कर दिया गया है। गत् आराजी 5/101 पर प्रार्थी काबिज था जिसके नये नम्बर 12 बनाये गये जि[illegible] वर्तमान में प्रार्थी ही काबिज है परन्तु अप्रार्थी केसर कँवर ने सेटलमेंट कर्मियों से सांठगाँठ कर जहाँ मैं काबिज था वहाँ अ प्रार्थी केसर कंवर को रिकार्ड में काबिज कर दिया मेरी आराजी के मध्य मे से रास्ता कायम कर मुझे अन्य स्थान पर काबिज बता रिकार्ड में अंकन कर दिया जिसका सुधार किया जाना न्यायोचित है तथा अप्राथी केसर कंवर द्वारा जहाँ काश्त किया जा रहा है वही राजस्व रिकार्ड मे सुधार किया जाकर पूर्वानुसार पडोसी काश्तकार जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

मार्ग से कदीमी समय से काश्त करने व वाहन लाते ले जाते रहे उसी मार्ग का राजस्व रिकार्ड मे सुधार किया जाना आवश्यक है। सेटलमेंट से पूर्व रास्ता वर्तमान आराजी नम्बर 12 के पूर्व से दक्षिण से पश्चिम होते हुऐ कायम था जिसे अप्रार्थी व अन्य पडोसियों ने सेटलमेंट कर्मियों द्वारा परिवर्तित करा आराजी नम्बर 8 व 12 के बीच से निकलवा रिकार्ड में कायम करा दिया है जिसके रास्ते के नम्बर 11 है। कुछ समय पूर्व मेरे कब्जे काश्त की भूमी पर अ प्रार्थी केसर कंवर व अन्य ने पत्थर डाल दिये तथा मौके पर विवाद हुआ तथा पटवारी जी से रिकार्ड की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि मैं प्रार्थी कदीमी समय से जिस आराजी पर काबिज हूँ वह आराजी वर्तमान मे अप्रार्थी केसर कँवर के नाम दर्ज रिकार्ड सेटलमेंट कर्मियों द्वारा कर दी गई है तथा मुझे अन्यत्र नम्बर जो वर्तमान मे 8 नम्बर है वहां रिकार्ड मे अंकन किया गया है। मौके पर तनाव व अप्रार्थी द्वारा लगातार बेदखल की धमकियों के कारण अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 पेरोकार सरकार प्रकरण मे फॉर्मल पार्टी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन मय वकालतनामा प्रस्तुत हुए। विपक्षी संख्या 02 को जवाब हेतु पुर्व में पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम ग्राम सांखलों का ढूंढा पटवार हल्का बाडोलिया मे संवत् 2033-36 मे दर्ज रिकार्ड है जिसकी खसरा संख्या 5/101 रकबा 5 बीघा है उक्त आराजी का नामान्तरण जरिये वसीयत से मुझ प्रार्थी के नाम खोला गया है पूर्व में आराजी धूला पिता रामसुख दरोगा अन्तरालिया के नाम दर्ज रिकार्ड थी। धूला पिता रामसुख निवासी सांखलो का ढूंढा को राणा प्रताप सागर बांध के डूब ऐवज में सहखातेदारी से आराजी अलोट हुई थी। सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी की आराजी की खसरा संख्या 5/101 रकबा 5 बीघा तथा सेटलमेंट के पश्चात खसरा संख्या 8 रकबा 1.08 5 बीघा दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट से पूर्व 5/9 खसरा नम्बर बडा नम्बर था। सेटलमेंट अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा प्रार्थी के काबिज काश्त गत आराजी 5/101 के नये नम्बर 12 बना कर काबिज काश्त आराजी से दूर रकबा कर दिया गया जिस पर अभी वर्तमान मे सांखलों का ढूंढा की आबादी बसी है तथा अन्य अतिक्रमियों के भूखण्ड है तथा मैं प्रार्थी प्रारम्भ से ही जहाँ काबिज हो काश्त कर रहा था जिसे अप्रार्थी केसर कंवर पत्नी अनेन्द्र सिंह का रिकार्ड में अंकन कर दिया गया जिसके गत् नम्बर 5/1ख व वर्तमान नम्बर 12 है तथा रकबा 0.40 हैक्टेयर है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी कब्जा काश्त कर काबिज है। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक आराजी संख्या 11, 12 पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किए जाते हे तो कोई आपत्ति नही है तथा बतौर सहमति ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर किए।

-:आदेश:-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ग्राम सांखलों का ढुंढा, प0ह0 बाडोलिया तहसील रावतभाटा की खसरा संख्या 8 रकबा 1.08 हैक्टर भूमि भैरूसिंह पुत्र उदेसिंह के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण होने पर ही साक्ष्य सबूतों के आधार पर विवादित आराजी की नये व पुराने नम्बरों की वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, जिससे प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, विवादग्रस्त आराजी के गत आराजी नम्बर 5/101 थे जिस पर प्रार्थी काबिज है तथा आराजी संख्या 12 जो अप्रार्थी केसर कंवर के नाम दर्ज रिकार्ड जिस पर भी प्रार्थी काबिज है आराजी संख्या 8 व 12 के मध्य नया रास्ता कायम किया गया जिसके आराजी संख्या 11 है। वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीया के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त विवादित कृषि आराजीयात संख्या 12 व 11 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:50:25 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा